न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – बिन्दू बाला राजावत, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 74 / 2020
किस्म – वाद
दायर दिनांक :– 22 / 10 / 2020
निर्णय दिनांक :– 23 / 03 / 2026

अनवान

1– रोशनलाल पिता उदयराम जाट निवासी मदारा हाल निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1– रामा पिता गोकल जाट निवासी मदारा तहसील रेलमगरा मृतक के कायम मुकाम
1 / 1 मांगी पुत्री रामा जाट, पत्नि किशनलाल जाट, हाल निवासी जीतावास
1 / 2 चांदी पुत्री रामा जाट, पत्नि गोपीलाल जाट, निवासी सातलियास तहसील गंगापुर
2– भैरूलाल पिता रामा जाट निवासी मदारा तहसील रेलमगरा
3– शंकर पिता रामा जाट निवासी मदारा तहसील रेलमगरा
4– केसर पत्नि शंकरलाल जाट निवासी मदारा तहसील रेलमगरा
5– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–
वादी की ओर से – अधिवक्ता प्रकाशचन्द्र खटीक,
प्रतिवादी की ओर से – अधिवक्ता चावण्डसिंह शक्तावत,

निर्णय

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया कि ग्राम मदारा पटवार हल्का सकरावास तहसील रेलमगरा में प्रतिवादीगण संख्या 01 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 307, रकबा 0.18 बिस्वा, खसरा संख्या 351 रकबा 5.07 बीघा तथा खसरा संख्या 353 रकबा 2.00 बीघा कुल किता 03 व जुमला रकबा 8.15 बीघा लगान 3.43 स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित नकल साथ पेश है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा लडके है, तथा वादी, प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा सबसे बेडा लडके स्वर्गीय उदयराम का लडका है,अर्थात वादी, प्रतिवादी संख्या 01 का पौत्र (पोता) है, प्रतिवादी संख्या 01 का सबसे बडा लडका उदयराम मर गया, जिसका जायन्दा लडका वादी हैं। वादी की माता सन 1980 में स्वर्गीय उदयराम के मदारा नाते (पुनःविवाह) आई थी, जो स्वर्गीय उदय राम की पत्नि बन कर रही तथा दिनांक 01 / 02 / 1983 को वादी का जन्म हुआ। एवं सन 1986 में दोनों पति–पत्नि के आपसी मतभेद व विवाद हो जाने से वादी की माता अपने पति स्वर्गीय उदयराम को छोडकर दूसरी जगह नाते चली गई, तथा अपने नाबालिंग बच्चे (वादी) को भी अपने साथ ले गई, तथा वादी के पिता उदयराम का भी सन 1990 के लगभग देहान्त हो गया। वादी, प्रतिवादी संख्या 01 का सगा पौत्र (पौता) है, तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 वादी के सगे काका है, उक्त भूमि मौरूसी है, तथा वादी व प्रतिवादी संख्या

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

02 व 03 का उक्त भूमि में बराबर–बराबर हिस्सा है, अर्थात तीनों का बराबर –बराबर हिस्सा है, इस प्रकार वादी का उक्त कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा है, तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का भी प्रत्येक का उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा हैं। वादी इस वक्त नाबालिग है,जो अपनी माता के वलायत में रहता है, प्रतिवादी संख्या 01 की पत्नि जो कि वादी की सगी दादी थी, उसका भी स्वर्गवास, वादी के पिता के स्वर्गवास होने के पहले ही हो गया था। प्रतिवादी संख्या 01 की वृद्वावस्था होकर वह प्रतिवादी संख्या 01 का मानसिक संतुलन भी बिगडा हुआ है, जिससे वह स्वः विवेक से निर्णय लेने में भी असमर्थ है, वह पूर्णतया प्रतिवादी संख्या 02 व 03 पर आश्रित है, तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 वादी को उक्त भूमि में से हिस्सा भी नहीं देना चाहते है, तथा वादी को प्रतिवादी संख्या 01 के मकान में रहने भी नही देना चाहते हैं। वादी का उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा है, जिसके लिये वह खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है, तथा उक्त भूमि को तीन बराबर भागों में विभाजित करा तीसरे हिस्से पर आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है, वादी अब अपनी उक्त भूमि का कानूनन विभाजन करा अपने तीसरे हिस्से पर तनहा आधिपत्य चाहता है, जिससे वादी भी उक्त में से अपने हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग कर सके। वादी के लिए उक्त वाद खातेदारी अधिकारी की घोषणा, व विभाजन का लाना आवश्यक हो गया हैं। प्रतिवादी संख्या 01,02,व 03 वादी को उक्त भूमि का संयुक्त उपयोग व उपभोग नही करने दे रहे है, जबकि वादी भी उक्त प्रतिवादीगण के साथ सह– कृषक व सह–हिस्सेदार है, तथा वर्तमान में उक्त भूमि रेवेन्यु रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर अंकित है,जिससे वह रेकर्ड का सहारा लेकर उक्त भूमि को रहन, विक्रय, बक्षीस आदि रूप से हस्तान्तरण की भी धमकिया दे रहे हैं, इसलिए यदि प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त भूमि के हस्तान्तरण करने से नही रोका जायेगा तो वादी अपने हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा, तथा वादी को अपार क्षति हो जायगी, जिसकी क्षति पूर्ति का मुल्यांकन नकदी में किसी भी कदर संभव नही हो सकेगा, तथा भविष्य में व्यर्थ की मुकदमे बाजी बढने की संभावना हो जायगी। उक्त भूमि को तीन बराबर भागों में विभाजित कर वादी को 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01 वादी को 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 02 को शेष 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 03 का आधिपत्य कराया जावे, तदनुसार रेवैन्यु रेकर्ड में पृथक पृथक अंकित कराया जावे, व उसी अनुसार लगान का निर्धारण कराया जाना आवश्यक हैं। प्रतिवादी संख्या 04 भूमिधारी होने व आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया गया हैं। वाद हेतु दिनांक 01/07/1995 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 03 को उक्त भूमि का विभाजन करने हेतु कहा तो वे इनंकार हो गये व वादी को डराया धमकाया बमुकाम मदारा उत्पन्न हुआ। यह भूमि न्यायालय आपके क्षैत्राधिकार में स्थित होने से उक्त वाद का श्रवणाधिकार अदालत आपको हैं। वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 03 घोषित करवाया जावे कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि में से 1/3 हिस्से का वादी खातेदार कृषक हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि को तीन बराबर बराबर भागों में विभाजित कराया जाकर 1/3 हिस्से पर वादी का 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 02 का तथा शेष 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या0 3 का आधिपत्य कराया जावैं। रेवैन्यु रेकर्ड में पृथक पृथक खाते अंकित कराई जाकर उसी अनुसार पृथक पृथक लगान भी निर्धारित कराया जावै। उक्त भूमि वादी प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 03 में विभाजित की जाने की स्थिति में उक्त भूमि को चार बराबर बराबर भागों में विभाजित किये जाने की स्थिति में वादी को अपने 1/4 हिस्से की घोषणा व आधिपत्य, रेवैन्यु रेकर्ड में पृथक से

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
भीलवाड़ा

अंकित करा लगान निर्धारित कराया जावै। साथ ही यह आदेश भी पारित कराया जावै कि प्रतिवादी संख्या 01 के स्वर्गवास के पश्चात उसके उक्त 1/4 हिस्से को, वादी, प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के मध्य तीन बराबर बराबर हिस्से में विभाजन करा 1/3 हिस्से की वादी के स्वत्व घोषणा करा, वादी का आधिपत्य कराया जाकर रेकर्ड में भी पृथक से वादी का नाम अंकित कराया जावे। वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 03 इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे, कि वे वादी द्वारा उसके तिसरे हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग करने पर नही रोके, तथा न ही उक्त कार्य अन्य से करावे, एवं उक्त भूमि को रहन, विक्रय, बक्षीस आदि रूप से किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरण नही करें। अन्य सहायता जो न्यायालय आप उचित समझे दिलाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 का विवरण सही होकर स्वीकार है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 03 के विवरण में प्रतिवादी संख्या 02, 03 प्रतिवादी संख्या 01 के जाइन्दा पुत्र होना स्वीकार है, दिगर इबारत गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 01 के सबसे बड़ा लड़का उदयराम था लेकिन वह अविवाहित ही मर चुका है। वादी द्वारा गलत तरीके से प्रतिवादीगण की जायदाद में हिस्सा प्राप्त करने के लिए झूठे तथ्यों पर आधारित वादपत्र प्रस्तुत किया। उदयराम टी.बी. की बीमारी से पीड़ित था जिससे उसकी शादी ही नहीं करायी थी एंव अन्त में अविवाहित ही मर गया। अविवाहित व्यक्ति के साथ न तो नाता हो सकता है, सारा विवरण वादी ने मिथ्या वर्णित किया है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 03 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादी की माता का विवाह बालुराम पिता भज्जा जी जाट निवासी खांखला का खेड़ा के साथ विवाहित पत्नि होकर बालुराम से वैद्य रूप से विवाह विच्छेद नहीं हुआ था। तथा नाथु पिता छोगा जी जाट (रणवा) निवासी सरगांव के यहां नाते गई थी एंव नाथु के पश्चात् वर्तमान में शंकरलाल पिता दलीचंद जाट निवासी सोनियाना के साथ नातायत पत्नि बनकर निवास कर रही थी कि शंकरलाल को छोड़ कर उसके रिश्तेदार किशनलाल जाट की पत्नि बनकर रह रही है। वादी के माता का अन्य कई व्यक्तियों से यौन संबन्ध रहे है। जिससे यह किसकी सन्तान है यह नहीं कहा जा सकता है। लेकिन स्व. उदयराम के साथ कभी नाता विवाह सम्पन्न नहीं हुआ था। न ही उदयराम की पत्नि बनकर रही। वादी का जन्म कब हुआ, इसकी प्रतिवादीगण को कोई जानकारी नहीं है। जब वादी की माता का स्व. उदयराम के कभी भी पत्नि बनकर नहीं रही। ऐसी स्थिति में विवाह उत्पन्न होने व अन्य बाते स्वतः ही मिथ्या साबित होती है। उदयराम की मृत्यु हुए 14 वर्ष का अरसा हो चुका है। यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 04 का विवरण जिस रूप में दर्शाया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है कि अविवाहित व्यक्ति के नाता विवाह भी सम्पन्न नहीं होता है। न कभी वादी की माता को उदयराम के नाते ही रही। न ही सामाजिक मान्यता के आधार पर अविवाहित व्यक्ति नाता ही किया जा सकता है। वादी स्वयं ने अपने वादपत्र में यह कहीं नहीं वर्णित किया कि स्व. उदयराम का विवाह किसके साथ हुआ था अभी भी इस बात को बताने में असमर्थ है। क्योंकि स्व. उदयराम का विवाह ही नहीं हुआ था तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य औरत के साथ नाता विवाह ही नहीं किया जा सकता, न ही वादी की माता का उदयराम के साथ नाता ही हुआ था जिससे प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

संख्या 01 का पौत्र होना व प्रतिवादी संख्या 02, 03 का भतीजा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। एंव न ही वादी का किसी प्रकार का हक अधिकार है। वादी ने सारा विवरण मनगढन्त, कपोल कल्पित आधारों पर झुठा वर्णित किया है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 05 के विवरण में वादी स्वयं बालिग हो चुका है, अन्य सारा विवरण गलत होकर मिथ्या वर्णित किया है। प्रतिवादी संख्या 01 की वृद्धावस्था अवश्य है लेकिन मानसिक सन्तुलन बिगड़े होने की बात मिथ्या वर्णित है। सारी भूमियां प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर होकर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है। वादी का विवादित भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है जिससे उसे हक देने की कोई बात ही उत्पन्न नहीं होती है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 06 का विवरण जिस रूप में दर्शाया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादी ने एक ही तथ्यों को बार–बार पुनरावर्ती कर समाविष्ट किया गया है। जब वादी किसी प्रकार का हक अधिकार ही नहीं रखता है ऐसी परिस्थितियों वह किसी प्रकार की जायदाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 07 का विवरण जिस रूप में दर्शाया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वर्तमान रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 05 के नाम पर अंकित होना अवश्य स्वीकार है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 08 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। जब वादी अपना हिस्सा ही घोषित करने का अधिकारी नहीं है ऐसी स्थिति में अन्य जायदाद प्राप्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 09 का विवरण कानूनी होकर जांच से सम्बन्धित है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 10 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादी का कोई वाद हेतु ही उत्पन्न नहीं होता है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 11 का विवरण कानूनी होकर जांच से सम्बन्धित है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 12 के विवरण में वाद मूल्यांकन गलत कायम किया गया है।

अतः यह कि प्रार्थना वादी मिथ्या होने से वादी किसी प्रकार का वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में 1/3 हिस्सा घोषित कराने का किसी प्रकार का अधिकारी नहीं है। यह कि ख का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। यह कि वादी की प्रार्थना वादपत्र से भिन्न होकर विरोधाभासी है। वादी का कोई हक अधिकार नहीं है। न वह किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त का अधिकारी है। यह कि वादी की कलम संख्या ग का विवरण मिथ्या होकर गलत है। यह कि वादी किसी प्रकार का खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, बल्कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से लगाकर 03 तक के विरुद्ध झूठा, मनगढ़न्त, बेबुनियादी तथ्यों पर आधारित वादपत्र प्रस्तुत किया एंव अनावश्यक रूप से परेशान किया जिससे प्रतिवादी संख्या 01 से 03 तक को वादी से विशेष हर्जा खर्चा प्रदान कराया जावे। यह कि वादी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार निम्न तनकियात विरचित की गयी–

1– आया वादी रोशनलाल मृतक प्रतिवादी संख्या 02 रामा के जायन्दा सबसे बडे लडके स्व. उदयराम का लडका होने से वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी होने से वादी का उक्त आराजीयात में हक अधिकार हैं।

जिम्मे– वादी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

2– आया वाद पत्र की कलम संख्या 01 वर्णित आराजीयात में वादी का हिस्सा घोषित होने के पश्चात इसी अनुरूप प्रतिवादीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

जिम्मे– वादी

3– आया वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन हिस्से के अनुसार 1/3 हिस्सा विभाजित कराने का अधिकार होकर 1/3 हिस्से का पृथक से विभाजन किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादी अंकन कराने का अधिकारी हैं।

जिम्मे– वादी

4– आया वादी कि माता का विवाह बालुराम पुत्र भज्जा जाट निवासी खांखला का खेडा होकर नाथू पिता छोगा जाट निवासी सरगांव के यहा नाता विवाह किया एवं उसके पश्चात शंकरलाल पिता दलीचन्द जाट निवासी सोनियाणा के साथ नातायत पत्नि बनकर निवास कर रही थी उसे छोडकर किशनलाल जाट की पत्नि बनकर रह रही है जिससे विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना है जिससे वादी का वाद खारिज होने योग्य हैं।

जिम्मे–प्रतिवादी

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन वक्त साक्ष्य PW-1 रोशनलाल, PW-2 किशनलाल, PW-3 गंगाबाई, के शपथ–पत्र प्रस्तुत हैं जिस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा जिरह पूर्ण की गई वादी द्वारा इसके अतिरिक्त और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई दस्तावेज आधार कार्ड की प्रति प्रर्दश–1 ए है, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रर्दश 2ए है, विधालय के टी.सी. प्रमाण पत्र की प्रति प्रर्दश 3 ए है, जमाबन्दी संवत् 2077 प्रदर्श–04 है, जमाबन्दी संवत् 2048 से 2051 प्रदर्श–05 है, जमाबन्दी संवत् 2030 से 20 प्रदर्श–06 विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–07 प्रस्तुत किये गये हैं। प्रतिवादी द्वारा गवाह DW-1 केसर देवी जाट, के शपथ–पत्र प्रस्तुत हुए जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह पूर्ण की गई। प्रतिवादी द्वारा भी इसके अलावा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। पत्रावली में निम्नांकित तनकियात कायम की गई:–

उभय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी दौरान बहस अधिवक्ता वादी ने इस संबंध मे नजीर सुप्रीम अपील संख्या 413/2025 (CRL.) के प्रस्तुत कि गयी। तनकी वाईज निर्णय इस प्रकार है :–

तनकी संख्या 01 का विवेचन में इस प्रकार है कि रामा के मृत पुत्र उदयराम का वादी पुत्र है यह तनकी वादी के जिम्मे रखी गयी जिसमें प्रतिवादीगण के द्वारा वादी रोशनलाल मृत उदयराम का पुत्र होने के तथ्यों को पुरे जोर तरीके से विरोध किया न्यायालय के मत में इस तनकी का विवेचन तनकी संख्या 04 के साथ विवेचन किया जाना आवश्यक है क्योंकि यह तनकी, तनकी संख्या 04 की खण्डनिय तनकी है जिससे इस तनकी का विवेचन तनकी संख्या 04 में सुविधा पूर्वक होने से उसमें विस्तृत किया जा रहा हैं।

तनकी संख्या 02 वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा घोषित होने के पश्चात निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में हैं क्योकि वादी अपना हिस्सा घोषित करने में असफल रहा है जिससे तनकी संख्या 02 वादी विरूद्व प्रतिवादी के निर्णित की जाती हैं।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

तनकी संख्या 03 भी विभाजन के सम्बन्ध में है लेकिन वादी अपना विभाजन साबित करने में असफल रहा है। जिससे उक्त अनुतोष वादी के पक्ष में नहीं दिया जा सकता है। अतः तनकी संख्या 03 वादी विरूद्ध प्रतिवादी के निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 आया वादी कि माता का विवाह बालुराम पुत्र भज्जा जाट निवासी खाखला का खेडा होकर नाथू पिता छोगा जाट निवासी सरगांव के यहां नाता विवाह किया एवं उसके पश्चात शंकरलाल पिता दलीचन्द जाट निवासी .... के साथ नातायत पत्नि बनकर निवास कर रही थी उस छोडकर किशनलाल जाट की पत्नि बनकर रह रही है जिससे विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना है जिसके वादी का वाद खारिज होने योग्य हैं। उक्त तनकी प्रतिवादी के जिम्मे रखी गयी एवं वादी को इस तनकी के खण्डन करने का भार वादी पर हैं। वादी ने अपने अभी वचनों में प्रतिवादी रामा के मृत पुत्र उदयराम का होना बताया गया लेकिन प्रतिवादीगण इन तथ्यों का विरोध करते हुए अपने अभिकथनों में बताया कि उदयराम अविवाहित मर चुका है तथा वह टीबी की बिमारी से पिडित होने से उसकी शादी ही नही करवाई गयी थी आगे अपने अभिकथनों में बताया गया कि वादी की माता का विवाह बालुराम पिता भज्जा जाट निवासी खाखला का खेडा के साथ विवाहित पत्नि होकर बालुराम से वैद्य रूप से विवाह विच्छेद नहीं हुआ था व नाथू जाट निवासी सरगांव के साथ नाते गयी थी उसके बाद शंकरलाल पिता दलीचन्द के साथ नाता किया व वर्तमान में किशनलाल की पत्नि बन कर रह रही है, वह वादी की माता कई व्यक्तियों से यौन संबन्ध होना बताया गया। वादी की माता उदयराम की पत्नि भी नही रही है। इन सभी वचनों के आधार पर तनकी संख्या 04 विरचित की गयी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रतिवादी के जवाब दावे में नवीन तथ्य उठाये गये जिनका वादी के द्वारा किसी प्रकार का खण्डन करने के लिए रिजाईन्डर प्रस्तुत नही किया गया जिससे न्यायालय उन तथ्यों को स्वीकार किये जाने की उप धारणा धारित करती है कि वादी का मामला कम जोर हो चुका है क्योंकि प्रतिवादीया के जवाब दावा में नवीन तथ्यों को बिना किसी चुनौति के स्वीकार कर लिया हैं। अब विवादीत संख्या 04 पर साक्ष्य का अवलोकन किया जाने पर पीडब्ल्यू-1 ने वाद पत्र के तथ्यों को मुख्य परीक्षा में दोहराया गया किन्तु प्रति परीक्षण में वादी ने 30 वर्षो से अपनी माता के साथ रहना बताया व वोटर लिस्ट व राशन कार्ड पेश नही कर सका। जिससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (जी) के तहत वादी के विरूद्ध उपधारणा धारित की जाती है वादी ने अपने प्रतिपरिक्षण में स्कूल में प्रवेश करना बताया गया व प्रवेश पत्र उसकी माता ने भरकर पेश किया व उदयराम का नाम पिता के रूप में माता ने लिखाया था प्रदर्श 02 के बारे में बताया गया कहा लिखा गया नही बताया व ग्राम पंचायत को मुल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नही हो से इन्कार किया गया लेकिन यहा स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम पंचायत को मुल निवास जारी करने का कोई अधिकार नही है आगे बताया गया की औरत नातें तो आ जावे तो आ जावे नही आवे तो नही आवे व अपने स्वयं का राशन कार्ड .... का बनाया बताया आगे वादीया की माता बालुराम के साथ विवाह हुआ हो उसे पता नही व अपनी माता से विवाह पति का नाम नही पुछा अन्त में किशनलाल के साथ नाता करना एवं उदयराम की मृत्यु टीबी बिमारी से होना भी स्वीकार किया अन्त में यह पता होना नही बताया उदयराम का विवाह हुआ या नही हुआ। फिर कहा सरगांव वाले के साथ शादी की किन्तु विवाह विच्छेद पेश नही किया तथा रामा मानसिक रूप से स्वस्थ होना बताया तथा उक्त सारे तथ्य वादी के द्वारा स्वीकार

(उपखण्ड अधिकारी)

किये गये। जिससे वादी संख्या 04 को खण्डन करने से असमर्थ रहा। प्रतिवादी ने अपने अभिवचनों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिपरीक्षण में तनकी संख्या 04 का खण्डन नही कर पाया अधिवक्ता प्रतिवादी के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय प्रतिपादीत निर्णय इवान रथिनम विरूद्व मिलन जोसेफ का प्रस्तुत किया गया जिसका मार्ग दर्शन प्राप्त किया गया एवं निचे विवेचना की जा रही है उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित फरमाया गया कि पितृत्व का प्रश्न साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 के तहत उपधारणा निर्धारित किये जाने का प्रावधान है की पति पत्नि सहज पहुँच से बाहर हो लेकिन ऐसा वाद पक्ष की ओर से साबित नही किया गया। जिससे उक्त साक्ष्य अधिनियम के तहत वादी को उसकी माता के विवाहिता पति का पुत्र माने जाने के निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया व पितृत्व का प्रश्न सिविल न्यायालय के विचारणिय होना बताया गया । पीडब्ल्यू –2 किशनलाल ने उदयराम की मृत्यु टीबी से होना बताया गया। तथा उदयराम कब मरा उसे जानकारी नही हो बताया व आज बियान गंगा के बताया अनुसार दे रहा हुँ, रोशनलाल का प्रवेश मेरे द्वारा करवाया गया एवं रोशनलाल के पिता रूप अंकित करवाया इस साक्ष्य से भी कोई बल प्राप्त नही होता है साक्ष्य पीडब्ल्यू –3 गंगा परिक्षति हुई जिसमें उदयराम का विवाह किसके साथ कब किया उसे जानकारी नही होना बताया गया व बालुराम से विवाह होना बताया। इन परिस्थितियों में वादी का समर्थन नही होकर प्रतिवादी का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन होना प्रकट होता हैं। विवादक संख्या 04 का विवेचन उरोक्त अनुसार साक्ष्य प्रक्ट होते है जिससे प्रतिवादीया के पक्ष में तनकी संख्या 04 साबित होती है एव वादी के द्वारा खण्डनिय साक्ष्य पेश नही करने से उक्त तनकी वादी के विरूद्व एवं प्रतिवादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः प्रकरण उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये सिद्व करने में असफल रहने से वादी का वाद बाबत् धारा 88, 53, 188, का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 के मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी देलवाड़ा
(राजसमंद)

संख्यांक नं0 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 74/2020

अनवान

वादीपक्ष :–

1–रोशनलाल पिता उदयराम जाट निवासी मदारा हाल निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादी पक्षः–

1– रामा पिता गोकल जाट निवासी मदारा तहसील रेलमगरा मृतक के कायम मुकाम
1/1 मांगी पुत्री रामा जाट, पत्नि किशनलाल जाट, हाल निवासी जीतावास
1/2 चांदी पुत्री रामा जाट, पत्नि गोपीलाल जाट, निवासी सातलियास तहसील गंगापुर
2– भैरूलाल पिता रामा जाट निवासी मदारा तहसील रेलमगरा
3– शंकर पिता रामा जाट निवासी मदारा तहसील रेलमगरा
4– केसर पत्नि शंकरलाल जाट निवासी मदारा तहसील रेलमगरा
5– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 रा.का.अधि. 1955

उपस्थित
वादी अधिवक्ता– प्रकाश चन्द्र खटीक
प्रतिवादी अधिवक्ता– चावण्डसिंह शक्तावत

मे इस आशय में दिनांक 18.11.2025 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये सिद्व करने में असफल रहने से वादी का वाद बाबत् धारा 88, 53, 188, का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक को 23.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा